नागरकिता संशोधन अधनियिम (CAA), 2019

प्रलिमि्स के लयि:

नागरकिता संशोधन अधनियिम (CAA) 2019, 1985 का असम समझौता, नागरकिों का राष्ट्रीय रजसि्टर (NRC)

मेन्स के लयि:

सरकारी नीतयिाँ और हस्तक्षेप, धर्मनरिपेक्षता, संवधिान की छठी अनुसूची

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 2020-21 के लयि अपनी नवीनतम वार्षकि रपिोर्ट में कहा है कि नागरकिता संशोधन अधनियिम, 2019 एक सहानुभूतपिूर्ण और सुधारात्मक कानून है और यह कसिी भी भारतीय को नागरकिता से वंचति नहीं करता है।

- CAA का उद्देश्य अफगानसि्तान, बांग्लादेश या पाकसि्तान के **हदिू, सखि, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों** के प्रवासयिों को नागरकिता देना है। यह 12 दसिंबर, 2019 को अधसिूचति कयिा गया और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ था।
- इस **कानून का पूरे देश में व्यापक वरिोध** हुआ था।

CAA की चुनौतयिाँ:

- **वशिेष लक्षति समुदाय:** ऐसी आशंकाएँ हैं कि CAA के बाद राष्ट्रीय नागरकि रजसि्टर (NRC) का देशव्यापी संकलन कयिा जाएगा, जसिमें प्रस्तावति नागरकि रजसि्टर से बहषि्कृत गैर-मुसलमान लाभान्वति होंगे, जबकि बहषि्कृत मुसलमानों को अपनी नागरकिता साबति करनी होगी।
- **उत्तर-पूर्व से संबंधति मुद्दे:** यह 1985 के असम समझौते का खंडन करता है, जसिमें कहा गया है कि 25 मार्च, 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासयिों, चाहे वे कसिी भी धर्म के हों, को नरि्वासति कर दयिा जाएगा।
    - असम में अनुमानति 20 मलियिन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं और ये प्रवासी राज्य के संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने के अलावा राज्य की जनसांख्यकिी को अनविार्य रूप से परविर्तति करते हैं।
- **मौलकि अधकिारों के खलिाफ**: आलोचकों का तर्क है कि यह संवधिान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधकिार की गारंटी देता है जो नागरकिों और वदिेशयिों दोनों पर लागू होता है) तथा संवधिान की प्रस्तावना में नहिति धर्मनरिपेक्षता के सद्धिांत का उल्लंघन है।
- **भेदभावपूर्ण: भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं जनिमें श्रीलंका के तमलि और म्याँमार के हदिू रोहग्यिा शामलि हैं। ये अधनियिम के दायरे में नहीं आते हैं।**
- **प्रशासन में कठनिाई:** सरकार के लयि अवैध प्रवासयिों और सताए गए लोगों के बीच अंतर करना मुश्कलि होगा।
- **द्वपिक्षीय संबंधों में बाधा:** यह अधनियिम उपर्युक्त तीन देशों में धार्मकि उत्पीड़न पर प्रकाश डालता है और इस प्रकार उनके साथ हमारे द्वपिक्षीय संबंधों को खराब कर सकता है।

गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण:

- **भारतीय नागरकिों पर लागू नहीं:** CAA भारतीय नागरकिों पर लागू नहीं होता है। इसलयि यह कसिी भी तरह से कसिी भी भारतीय नागरकि के अधकिार को समाप्त या कम नहीं करता है।
- **भारतीय नागरकिता प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रयिा अपरविर्तति रहती है:**
- इसके अलावा नागरकिता अधनियिम, 1955 में प्रदान की गई कसिी भी श्रेणी के कसिी वदिेशी द्वारा भारतीय नागरकिता प्राप्त करने की वर्तमान कानूनी प्रक्रयिा परचिालन में है और CAA इस कानूनी स्थतिि में कसिी भी तरह से संशोधन या परविर्तन नहीं करता है।
    - अत: कसिी भी देश के कसिी भी धर्म के कानूनी प्रवासयिों के पंजीकरण या देशीयकरण के लयि कानून में पहले से प्रदान की गई पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद ही भारतीय नागरकिता प्राप्त की जा सकेगी।
- **पूर्वोत्तर भारत से संबंधति मुद्दों को सुलझाना**: वार्षकि रपिोर्ट में एक बार फरि पूर्वोत्तर में कानून को लेकर आशंकाओं को दूर करने का प्रयास कयिा गया है जसिमें कहा गया है कि संवधिान की छठी अनुसूची के तहत क्षेत्रों और इनर लाइन परमटि शासन के तहत आने वाले क्षेत्रों को शामलि

करने से क्षेत्र की स्वदेशी और आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

आगे की राह

- इसके बारे में नियमों की अधिसूचना, जिसके बिना कानून लागू नहीं किया जा सकता है, सरकार की ओर से कोई प्रतिबद्धता न होने के कारण लंबित है।
- इस प्रकार गृह मंत्रालय को चाहिये कि वह **CAA** नियमों को अत्यंत पारदर्शिता के साथ अधिसूचित करे तथा इससे जुड़ी आशंकाओं को दूर करे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न:भारतीय संविधान में पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के प्रावधान संबंधित हैं:(2015)

(a) अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना
(b) राज्यों के बीच की सीमाओं का निर्धारण
(c) पंचायतों की ज़िम्मेदारी, शक्तियों, अधिकार का निर्धारण
(d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा करना

उत्तर: (a)

- पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिये प्रावधान करती है।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mha-on-citizenship-amendment-act-2019